रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 401] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 8, 1972/भाद्र 17, 1894
No. 401] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 8, 1972/BHADRA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

New Delhi, the 8th September 1972

S.O. 584(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Commerce and Industry No. S.O. 2245, dated the 15th September, 1961, read with the Orders of the Government of India in the late Ministry of Commerce No. S.O. 2734, dated the 5th September, 1966, No. S.O. 3246, dated the 4th September, 1968, and in the late Ministry of Foreign Trade and Supply (Department of Foreign Trade) No. S.O. 3745, dated the 11th September, 1969, and Ministry of Foreign Trade No. S.O. 3316, dated the 15th September, 1970, the management of the industrial undertaking known as Rai Saheb Rekhchand Gopaldas Mohta Spinning and Weaving Mills Private Ltd., Akola (Maharashtra State) had been taken over by the Authorised Controller referred to in the Order first mentioned above, for a period up to and inclusive of the 15th September, 1972;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Authorised Controller should continue for a further period up to and inclusive of 15th September, 1974;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order first mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 15th September, 1974.

[No. F. 11021/103/72-Tex(G).]

S. K. BAGCHI, Jt. Secy.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1972.

का० आ० 584(अ).—यतः भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2734, दिनांक 5 सितम्बर, 1966 सं० का० आ० 3246, दिनांक 4 सितम्बर, 1968 तथा भूतपूर्व विदेशी व्यापार तथा आपूर्ति मंत्रालय (विदेशी व्यापार विभाग) के आदेश सं० का० आ० 3745, दिनांक 11 सितम्बर, 1969, तथा विदेश व्यापार मंत्रालय के सं० का० आ० 3316, दिनांक 15 सितम्बर, 1970 के साथ पठित भारत सरकार के भूतपूर्व वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 2245, दिनांक 15 सितम्बर, 1961 द्वारा राय साहब रेखचन्द गोपालदास मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्राइवेट लि०, अकोला (महाराष्ट्र राज्य नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उपरिवर्णित अन्तिम आदेश में निर्दिष्ट प्राधिकृत नियन्त्रक द्वारा 15 सितम्बर, 1972 तक के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, ग्रहण कर लिया गया था।

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त प्राधिकृत नियंत्रक द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण 15 सितम्बर, 1974 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहना चाहिए।

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उपरिवर्णित अन्तिम आदेश का प्रभाव 15 सितम्बर, 1974 तक की आगामी अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, और बना रहेगा।

[सं० फा० 11021/103/72—टैक्स (जी)]

एस० के० बागची, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972